करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीया तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 60 रकबा 1.4036 हैक्टेयर वाके ग्राम रतनपुरा प.ह. फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव संख्या 2 तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 30.01.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के फौत हो जाने से इनके कानूनी वारिसान के नाम मुताबिक कुर्रेजात विरासत नामान्तकरण खोला जावें।

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)
1	गुल्ली पत्नी रामधन जाति मीना निवासी गोकुलपुरा लसाडिया खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक शाखा बस्सी।	60	0.7018
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.7018
2	कैलाश, धर्मेन्द्र पिता बदरीनारायण हिस्सा 2/3 राहिन PNB शाखा फाल्यावास, काली पत्नी बदरीनारायण हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार।	60/1	0.7018
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.7018

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 30.01.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर ग्रामीण (रा.ज.)

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण